बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9431818346~~/9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 24

दिनांक 19/5/2015

दिनांक 19.04.2015 को आयोजित केन्द्रीय कार्यकारिणी के बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 19.04.2015 को बासा के केन्द्रिय इकाई की बैठक उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र राम की अध्यक्षता में हुई। उपस्थिति पंजी के अनुसार

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–12118 दिनांक 12.08.2014 द्वारा प्रोन्नती समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक रोक लगा देने के आदेश पर रोष व्यक्त किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 05.08.2014 द्वारा प्रोन्नती पर कोई रोक नहीं लगायी गई है। दिनांक 26.04.2015 को सभी सेवाओं के प्रतिनिधियों द्वारा एकमत सहमत होकर आंदोलन का जो स्वरूप निर्धारित किया जाएगा उसका अनुपालन सभी सदस्य करेंगे। सभी जिला इकाई को अपने–अपने जिलों में एक टीम गठित करने को कहा गया जो आंदोलन का सफल संचालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिवेदन केन्द्रिय इकाई को भेजेंगे।

(2) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खाद्यान्न की राशि वसूलने हेतु पदाधिकारी को कारणपृच्छा निर्गत की गई है जिसपर चर्चा की गई। इसमें संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश वाद संख्या–19529/11 में IA दायर किया गया है जिसकी सुनवाई पुनः दिनांक 06.05.2015 को है। इस संदर्भ में संघ के पत्रांक–32 दिनांक 10.10.2014 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को बताया गया है कि महालेखाकार के अंकेक्षण दल के द्वारा वर्ष 2008–09 में योजनाओं के क्रियान्वयन की समाप्ति के पश्चात् बड़ी मात्रा में खाद्यान्न ज0बि0प्र0 विक्रेताओं के पास बचे रहने तथा उनके उपयोग न होने पर आपत्ति की गई। महालेखाकार, बिहार विधान मंडल के लोक लेखा समिति एवं मुख्य सचिव स्तर पर हुई निर्णय के आलोक में ज0वि0प्र0 विक्रेता के खाद्यान की राशि वसूलने की कार्यवाही की गई। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्गत नोटिस में वर्णित है कि "विक्रेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि खाद्यान्न सड़ गया है" तो क्या खाद्यान्न सड़ने के निष्पादन हेतु सरकारी निदेश का अनुपालन हुआ है या नहीं? अगर नही तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? संघ ने ग्रामीण विकास विभाग से यह बताने को कहा गया है कि सम्पूर्ण राज्य के सभी पदाधिकारी के द्वारा किन–किन मार्गदर्शिका/संकल्प/परिपत्र का उल्लंघन किया गया है जिसके फलस्वरूप कारणपृच्छा निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग से कोई भी जबाव संघ को प्राप्त नहीं हुआ है।

क्रमशः

संघ को ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्गत पत्र 265 दिनांक 09.01.06 द्वारा योजना बन्द होने के उपरान्त अवशेष राशि नई योजना में स्थानान्तरण का आदेश दिया गया परन्तु अवशेष खाद्यान्न के सम्बन्ध कोई निदेश नहीं दिया गया तो फिर पदाधिकारी कैसे दोषी है? इस प्रश्न का उत्तर भी ग्रामीण विकास विभाग को देना चाहिए।

3. संघ भवन निर्माण पर चर्चा की गयी। अध्यक्ष/सचिव, जिला इकाई से अनुरोध किया गया है कि सभी सदस्यों से 11000/= रूपये सहयोग राशी प्राप्त कर भेजी जाय।

4. राजस्व पार्षद, बिहार के ज्ञापांक 1255 दिनांक 23.02.15 के संबंध में सदस्यों को बताया गया कि राजस्व वाद अभिलेखों की स्वीकृति की प्रक्रिया भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 28.12.11 से प्रभावी होगी इसका मूल उद्देश्य उक्त तिथि के पूर्व की जो प्रणाली थी उसे पुनर्स्थापित कर दी गयी है, यानि साक्षात्कार अब नहीं होगा।

5. सदस्यों को यह जानकारी दी गयी कि बि0प्र0से0 से भा0प्र0से0 में प्रोन्नति के लिए वर्ष 2015 से अधिकतम उम्र 54 से बढ़ाकर 56 कर दिया गया है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(राजेन्द्र राम)
उपाध्यक्ष